ATTCHAMENT 2.1 (33)

विस्तृत आख्या

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत बिनवालगॉव–कलियाधुरा (छीड़ाखान) मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई : 15.200 कि0मी0)

लैण्ड शैड्यूल : संलग्न किया गया है।

वांछित भूमि का विवरण (Description of the Land Required):- प्रस्तावित मार्ग की राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृति अन्तर्गत शासनादेश संख्या 764 / III (2) / 08–85(प्रा0आ0) / 2007दिनांक 24–03–2008 द्वारा 15.200 किमी0 लम्बाई हेतु ₹ 671.73 लाख हेतु प्राप्त हुआ है। बिनवालगॉव ग्राम को जोड़ने हेतु 16.500 किमी0 लम्बाई में स्वीकृति प्राप्त हुयी है।

उपरोक्त 15.200 किमी0 लम्बाई में वांछित प्रभावित भूमि का विवरण निम्नवत हैं :–

(a) प्राइवेट भूमि (**Private Land**) -	3700m x 7m	= 25900Sqmt = 2.590 Hectare
(b) आरक्षित वनभूमि (**Reserve Forest Land**) -	4900 x 7m	= 34300 Sqmt = 3.43 Hectare
(c) सिविल भूमि (**Civil Land**) -	6000m x 7m	= 42000 Sqmt = 4.20 Hectare
(d) वनपंचायत भूमि (**Van Panchayat Land**) -	600m x 7m	= 4200 Sqmt = 0.42 Hectare

कुल भूमि जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है :–

(3.43+4.20+0.42) = 8.05 Hectare+मलवा 0.671= 8.721 Hectate

विदित हो कि बिनवालगॉव, कलियाधुरा की बसावट को संयोजित करने हेतु मार्ग की लम्बाई 15.200 प्रस्तावित की जा रही है, तथा लक्षित ग्राम को संयोजित करने हेतु अतिरिक्त लम्बाई की आवश्यक नहीं है।

प्रभावित पेड़ो का विवरण (Status of Tree felling):- मोटर मार्ग में कुल 441 पेड़ विभिन्न प्रजाति के प्रभावित हो रहे है, जिसमें मुख्यतः [illegible], चीड़, बुरांश, बॉज, कुकाट, काफल, साल, अयार इत्यादि हैं। इन 441पेड़ों में से 10–20 व्यास के 145 वृक्ष, 20–30 व्यास के 145 वृक्ष, 30–40 व्यास के 84 पेड़, 40–50 के व्यास के 41 पेड़, 50–60 व्यास के 19, 60–70 ब्यास के 07 पेड़ आ रहे है।

मोटर मार्ग का संक्षिप्त विवरण (Brief Description of the road):- प्रस्तावित मोटर मार्ग से बिनवालगॉव (आबादी–458) गोलडांडा (आबादी–249), इस प्रकार कुल 707 आबादी लाभान्वित हो रही है। यह मार्ग विकास खण्ड, पाटी जिला चम्पावत (उत्तराखण्ड) में स्थित है। इस मार्ग में आरक्षित वन क्षेत्र / वनभूमि, प्राईवेट भूमि एवं सिविल भूमि प्रभावित हो रही है, जिस हेतु वनभूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।

मोटर मार्ग को वन भूमि में अवस्थित करने का औचित्य (Necessity of the project and justification for locating the project in forest area):- वर्तमान में बिनवालगॉव एवं अन्य तोकों के ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं एवं अपने कृषि उत्पादों को रोड हैड तक पहुँचाने हेतु लगभग 15.200 किमी0 की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। मोटर मार्ग के अभाव में क्षेत्रवासियों को उचित चिकित्सा सेवायें नहीं मिल पा रही है, जिस कारण गर्भवती महिलाओं एवं अन्य रोगियों के जीवन का जोखिम बना रहता है।

मोटर मार्ग से असंयोजकता के कारण क्षेत्रीय जनता अनेकाएक लाभों से वंचित है, तथा पिछड़ेपन का शिकार है। ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशुपालन है। ग्रामवासियों अपनी कैश फलसों (Cash crops) यथा सन्तरे, अदरक, आलू, नीबू इत्यादि को रोड हैड तक पैदल अथवा खच्चरों से लाया जाता है, तथा उनके उत्पादों का उन्हें सही लाभ नहीं मिल पाता।

Attachment-2.1 (34)

मोटर मार्ग से संयोजकता हो जाने के उपरान्त ग्रामवासियों का समाजिक एवं आर्थिक स्तर में प्रगति होन के साथ–साथ गॉव से नवयुवकों का पलायन रूकेगा। मार्ग निर्माण में प्रभावित 8.721 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि जो कि सर्वेक्षण पश्चात चिन्हित की गई है, न्यूनतम है तथा समरेखन को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है कि पेड़ों का न्यूनतम पातन हो।

इस प्रस्तावित समरेखन के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक समरेखन नहीं है, जिसमें इससे कम पेड़ो का पातन हो। वनभूमि 7.00 मी0 चौड़ाई में लिया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है, तथा **(Straight Reaches)** में 6.00 मी0 चौड़ाई में मार्ग निर्माण किया जायेगा।

भूगर्भवेत्ता की निरीक्षण आख्या से भी स्पष्ट होता है कि इस प्रस्तावित समरेखन में मार्ग निर्माण भूगर्भ की दृष्टि से सुरक्षित है। समरेखन में कोई भी कब्रिस्तान, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक/ऐतिहासिक/पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल/स्थान प्रभावित नहीं हो रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए जनहित में 8.721 हेक्टेयर वनभूमि को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रदत्त करने की कृपा करें।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत